

महिला सशक्तिकरण

□ जगदीश सिंह

सारंश- राष्ट्रीय नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है, उसके उद्देश्यों में महिलाओं के विकास के लिये सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से ऐसा अनुकूल माहौल तैयार करना है, जिससे महिलाएं अपनी क्षमता को साकार कर सकें। वे अपने स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार, समाज पारिश्रमिक एवं सामाजिक सुरक्षा का लाभ उठा सकें। उनमें महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव एवं हिंसा का उन्मूलन तथा सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव भी सुनिश्चित करना शामिल है।

वर्तमान में महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच को देखते हुए यह आवश्यक है कि समाज में उनके सम्मान और सुरक्षा को स्थापित किया जाये। यह तभी संभव होगा जब उन सभी दुविधाओं, जिनका सामना महिलाओं को करना पड़ता है, पर सार्वभामिक दृष्टि एवं सम्यक रूप से ध्यान दिया जाए इसके लिए 2009-10 के बजट में सात सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है।

- सुरक्षित मातृत्व
- शिशु मृत्यु दर में कमी लाना
- जनसंख्या स्थरीकरण
- बाल विवाहों पर रोग
- लड़कियों का कम से कम कक्षा 10 तक पढ़ाई करना।
- महिलाओं को सुरक्षा तथा सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु आर्थिक सशक्तिकरण शामिल है।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर प्रकोष्ठ बनाकर इस कार्यक्रम की मॉनीटरिंग की जायेगी।

सात सूत्रीय कार्यक्रम के प्रबोधन, समीक्षा एवं समन्वय हेतु दो राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में

राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति एवं मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री सात सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत संबंधित विभागों द्वारा विशेष कार्ययोजना बनाई जा रही है, ताकि उन अपेक्षाओं पर ध्यान केन्द्रित किया जा सके तथा विभिन्न कार्यक्रमों में समन्वय किया जा सके।

कुणाल झा, गोड्डा के अनुसार - हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण ने लम्बे ढंग भरे हैं। पंचायत चुनाव के बाद महिला सशक्तिकरण का, जलवा विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है। चौपाल पर विकास की रणनीति बनानी हो या फिर समाज में व्याप्त कुप्रथा पर लगाम लगाने की हर मामले में महिलाएं अव्वल साबित हो रही हैं। चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण आज उनके आत्म विश्वास को पंख दे रहा है। आज जिला परिषद की कमान से लेकर कई प्रखंड व पंचायतों की कमान महिलाओं ने संभाल रखी है।

मेहरमा प्रखंड के सुखाड़ी पंचायत की महिला गुलनाज मुखिया ने इस पंचायत की फिजा ही बदल डाली है। समय पर स्कूल खुलने लगे हैं और आंगनवाड़ी में नियमित रूप से पोषाहार का वितरण हो रहा है, मुखिया ने लोगों को जागरूक बनाने की कमान खुद संभाल रखी है। जिसका फल यह मिल रहा है कि लोगों ने देशी शराब से तौबा करनी शुरू कर दी है।

झारखंड प्रदेश के जिले में उद्यमिता विकास

कार्यक्रम के तहत गरीब व पिछड़े वर्ग की महिलाएं बांस से बने सामान, सूत कटाई व बुनाई, रेशम धागा सहित कपड़ा बुनाई आदि कार्यों में अपनी निपुणता का परिचय दे रही है। गोड्डा प्रखंड के निपनिया, दमा, झिलवा, वारिसरांड आदि गांवों में कार्यरत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने उद्यमिता विकास के गुणों को अपनाकर सफलता का परचम लहराया है, फूल, गुलदस्ता, पैन स्टैंड, पेन्सिल बाक्स व चटाई बनाने में इन्हें महारथ हासिल है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब विभिन्न स्वयं सहायता समूह के बीच 521 लाख रुपये के ऋण बांटे जा चुके हैं। समूह से जुड़ी महिलाएं छोटे एवं लघु उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर हो रही हैं। समूह की महिलाएं कहीं मूड़ी बनाने का काम रही हैं तो कहीं पापड़ अन्य घरेलू उपयोगी सामानों का निर्माण कर रही हैं, इतना ही नहीं जैविक खाद के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, अब तो जनवितरण प्रणाली की दुकानों की कमान भी समूह से जुड़ महिलाएं ही संभाल रही है।

भारत साक्षरता मिशन के तहत हर पंचायत से दो प्रेरक का चयन किया गया है, इसमें एक महिला का होना जरूरी है, इसके अतिरिक्त जल सहिया पर ग्रामीणों को स्वच्छ जल आपूर्ति का दायित्व सौंपा गया है।

शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी :

स्वास्थ्य विभाग ने ममता वाहन योजना की शुरुआत की है, इस योजना के तहत किसी भी गर्भवती महिला को प्रसव के लिये स्वास्थ्य केन्द्र तक पहुंचाने व वापस घर तक सुरक्षित लौटाने का दायित्व ममता वाहन पर सौंपा गया है, इसके लिए दूरभाष नंबर उपलब्ध कराया गया है।

जिला प्रशासन महिला सशक्तीकरण को लेकर कटिबद्ध है, मुख्यमंत्री कन्या योजना हो या फिर मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना सभी का उद्देश्य महिला सशक्तीकरण ही है। इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।

अफसरशाही बड़ी बाधा — अफसरशाही

और भ्रष्टाचार महिला सशक्तीकरण में सबसे बड़ी बाधा आज भी गांव में रहने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा संचालित महिला उपयोगी योजनाओं का लाभ लेने के लिये काफी मशक्कत करना पड़ता है। ग्रामीण महिलायें वृद्धावस्था पेंशन, लक्ष्मीबाई योजना, कन्या विवाह योजना जैसे कई अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ लेने का प्रयास तो जरूर करती हैं, परन्तु प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाते-लगाते थक हार कर बैठ जाती हैं।

निश्चित रूप से आज यह कहा जा सकता है कि महिला को सशक्त करने के प्रयासों को और तेज करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज नारी की जागरूकता, शिक्षा, कार्योजन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ रही है, पर फिर भी समाज में उन्हें सशक्त बनाने के लिये स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है तथा हमारी सरकार को भी यह देखना होगा कि उसके द्वारा चलायी गयी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं अभियानों का लाभ वास्तव में महिलाएं उठा पा रही है या नहीं। इसके लिये जरूरत है चुस्त, दुरुस्त और ईमानदार प्रशासन की, आज के समय में महिलाओं को सशक्त करना अधिक आवश्यक है। इसके लिये सरकार को ध्यान देना उचित होगा।

“लेकिन वास्तविकता यह है कि सशक्तीकरण की सभी योजनायें कागज पर ही चल रही हैं और उनका जोर-शोर से ढिंढोरा पीटने के लिये इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। वस्तुस्थिति यह भी है कि सम्पूर्ण बजट भी इन योजनाओं का भी घोटाले में जा रहा है।”

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- ☉ ज्ञान प्रकाश गौतम : महिला सशक्तीकरण
 - ☉ डॉ० बसन्तीलाल बावेल : महिला एवं बाल कानून
 - ☉ मदन जी.आर. : परिवर्तन एवं विकास का समाजशास्त्र
 - ☉ शर्मा एम.एल. एवं गुप्ता डी.डी. : समाजशास्त्र
- www.google.com
